

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेजेज/2010/पार्ट-III

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

24 FEB 2011

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत
मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए मुआवजा राशि देने के क्रम में।


संदर्भ:- कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 01.12.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर मुआवजा राशि दिये जाने की प्रक्रिया के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि श्रम आयुक्त द्वारा दी गयी विधिक स्थिति के अनुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने का श्रम करें।

भवदीय


संलग्न: उपरोक्तानुसार।


(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस जयपुर एवं जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

D. No. 1458
 Date: 15-2-11
 राजस्थान सरकार
 श्रम विभाग
 D. No. 1458
 Date: 15-2-11
 राजस्थान सरकार
 श्रम विभाग

क्रमांक: एफ 1348 श्रम/वि0/2010/2191

जयपुर, दिनांक: 10-2-11

प्रमुख शासन सचिव,
 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
 अनुभाग-3 राजस्थान, जयपुर।

1001
17/2/11

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी
 अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान में
 विलम्ब के लिये मुआवजा राशि देने के क्रम में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ 1414 आर डी/नरेगा/वेजेज/
 2010/पार्ट TTT दिनांक 9.12.2010

-0-

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः विधिक स्थिति स्पष्ट की जाती है कि वेतन भुगतान अधिनियम की धारा- 3 के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान करने का दायित्व नियोजक का अथवा नियोजक द्वारा भुगतान हेतु नियुक्त या नामित किये गये व्यक्ति का है। मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के मामलों में प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान का दायित्व भी नियोजक अथवा नियमानुसार वेतन भुगतान करने के लिए दायित्वहीन व्यक्ति के संबंध में ही दिया जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तथापि यदि नियोजक यह समझता है कि मजदूरी के भुगतान में विलम्ब किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी विशेष की लापरवाही से हुई है तो वह मुआवजा राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार आवश्यक जांच पश्चात् वसूल कर सकता है।

भवदीय,

श्रम आयुक्त,
 राजस्थान, जयपुर।

XEN(V)
 2/12

RN
 2/12

M. Virawat
 to all
 bps/ROPR
 15/2/11
 14/2